2017/00293

B042/17 बामलू

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रकरण सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
B042/17	145 CrPC	बामलू	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रविन्द्र कुमार	बनाम	राजकुमार, हेमन्त कुमार

वकील :- श्री सुरेन्द्र शर्मा — **आदेश पत्रक** — वकील :- 2017/00293

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
29/8/17	रिपोर्ट सीधा दर्ज की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली 6/9/17 पेश हो। उप जिला कलक्टर बारां	6/9/17 11/9/17 3-10-17 27/11 17-1-18 28-2 10-5-18 10/7/19 26-9- 14-11-18 23-1-19 25-3-19 25/4/19 30/5/19 15/7/19 19/8/19 30/9/19 17/10/19
6/9/17	पत्रावली पेश हुई वादी प्रार्थी तथा प्रार्थी उप नहीं प्रार्थी द्वारा नोटिस जारी नहीं हुए तथा नोटिस जारी होकर पत्र 11/9/17 पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
11/9/17	पत्रावली पेश हुई वादी प्रार्थी तथा प्रार्थी उप नहीं तलबी नहीं हुई वादी प्रार्थी पुत्र, तलबी हेतु [illegible] पेश हो पत्रावली वादी तलबी 14-9-17 पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
14/9/17	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप। प्रार्थी उप नहीं प्रार्थी की ओर से श्री वी.एल. जैन एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का एकल नोटिस पेश किया जाकर वादी प्रार्थी तथा उप को तलब चाहते हैं पत्रावली वादी तथा उप तलब 3/10/17 पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
3/10/17	पत्रावली पेश हुई वादी पक्ष तथा वादी पक्ष को तलब चाहे। पत्र वादी तलब 27/11/17 पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
27.11.17	पीठासीन अधिकारी के समक्ष को प्रस्तुत कार्य 17.1.18	

उप खण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
10/6/21	[illegible] दौरे पर 19-19 में रहने से पूर्वत दिनांक 22/7/21 को प्रस्तुत हो। रीडर [illegible]
22/7/21	[illegible] अवकाश में रहने से पूर्वत दिनांक 9/9/21 को प्रस्तुत हो। रीडर [illegible]
9/9/21	[illegible] राज कार्य में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 23/11/21 को प्रस्तुत हो। रीडर [illegible]
23/11/21	पत्रावली आज पेश है। अपीलार्थी के वकील उप वकील अपीलार्थी जवाब का समय चाहते हैं। वादी जवाब अपीली दिनांक 20/12/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बारां
20/12-21	पत्रावली पेश। श्री वकील अपीली व स्वयं अपीली उपस्थित। श्री वकील अपीली व स्वयं अपीली को सीमा वाद आदान सुपुर्द गये वादग्रस्त प्रकरण के निपटान के उपरान्त श्री अपीली का अपीलीय पत्र अंकन धारी अंकन पेशी के अंकित किया जावे। पत्रावली मिसिल प्रकरण होकर दर्ज तसीम वकील के शामिल करावे। [illegible]